

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4766
21 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएम स्वनिधि योजना के तहत जनसांख्यिकीय आंकड़े

4766. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित उन्नत पीएम स्वनिधि योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों का जनसांख्यिकीय आंकड़ा शामिल नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप सभी को इस योजना से एकसमान लाभ नहीं मिलने का जोखिम है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या सरकार का ऐसी असमानताओं की निगरानी करने और उन्हें दूर करने के लिए आंकड़ा-संचालित निगरानी प्रणाली स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या एक समावेशी वित्तीय प्रणाली के लिए ऐसे उपायों को विश्व बैंक की प्राथमिकताओं के अनुरूप लागू किया जाएगा और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्निरूपण को अभी तक अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है।